न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2023(रसद) **(GCMS 2023/211)**	**07.08.2023**	**25.11.2025**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, जिला रसद कार्यालय चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण लाल खटीक पिता नन्दराम खटीक निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मो. 9511571837)
2. किशन पिता भैरूलाल खटीक निवासी कानोड जिला उदयपुर (मो. 799039442)
3. हरीश पिता नवलराम खटीक निवासी ताणा आकोला जिला चित्तौड़गढ़ (मो. 9737587062)

स्थान :– हरिओम फिलिंग स्टेशन, डेट गंगरार चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :–	प्रवर्तन अधिकारी (श्रीमती सुमन तिवारी)	पैरोकार सरकार
	सुनील सुखवाल	विपक्षी 1
	एक तरफा	विपक्षी संख्या 2, 3
	सुनील सुखवाल	प्रार्थी (प्रार्थना–पत्र 115/2023)(रे.वि.)

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में पुलिस थाना सदर गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 118/2023 दिनांक 28.04.2023 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार हरिओम फिलिंग स्टेशन, डेट गंगरार पर साल्वेंट/बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध बिक्री की शिकायत पर दिनांक 28.04.2023 को की गई कार्यवाही में अभिग्रहित पेट्रोलियम पदार्थ/बायोडीजल/सॉल्वेंट लोहे के 9 ड्रमों, प्लास्टिक के 27 ड्रमों में कुल मात्रा 7923 लीटर एवं 1 लोहे के ड्रम मात्रा 150 लीटर तथा मोबाईल बायोडीजल रिटेल आउटलेट आरजे 52 जीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7322 में कुल मात्रा 1898.5 लीटर की समस्त बायोडीजल/ पेट्रोलियम–पदार्थ/सॉल्वेंट सामग्री तथा 3 मोटर 2 लूबी कम्पनी की एवं 1 पर कम्पनी का नाम अंकित नहीं 3 प्लास्टिक के पाइप जिसमें 8 फुट का काले रंग का प्लास्टिक का पाइप, 15 फुट का प्लास्टिक का भूरे रंग का पाइप 10 फुट हरे रंग का प्लास्टिक का पाइप, पीतल के 5–5 लीटर के 02 मापक जार, 02 लीटर का लोहे का 01 मापक जार, 1/2 लीटर का लोहे का 01 मापक जार का निस्तारण कर राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 05.09.2023 को विपक्षी संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 20.02.2024 को विपक्षी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 18.02.2025 को अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

प्रकरण में नारायण लाल पिता नन्दराम खटीक निवासी नारेला हाल मुकाम हाउसिंग बोर्ड गांधीनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की और से पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 118/2023 दिनांक 28.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 52 GA 7322** की सिपुर्दगी बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 451–457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 115/2023(रे.वि.) पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अपने प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 118/2023 दिनांक 28.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 52 GA 7322** के पंजीकृत स्वामी होना अवगत कराया है। उक्त वाहन को पुलिस थाना गंगरार द्वारा अपनी तहवील में लिया गया है, अतः वाहन को प्रार्थी अधिकृत स्वामी की सिपुर्दगी में दिलवाया जावें एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 52 GA 7322** को सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451–457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा धारा 451–457 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार से पत्रांक/553 दिनांक 24.02.2024 से टिप्पणी/अभिमत एवं अनुसंधान पत्रावली प्रेषित की गई है, पत्र प्रकरण संख्या 115/2023(रे.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है एवं अनुसंधान पत्रावली रिकार्ड पर होकर हम किता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तगत दोनो प्रकरणों के पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 118/2023 दिनांक 28.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्तशुदा सामग्री एवं वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित है, ऐसी स्थिति उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः दोनों में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम पैरोकार सरकार ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार हरिओम फिलिंग स्टेशन, डेट गंगरार पर साल्वेंट/ बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध बिक्री की शिकायत पर दिनांक 28.04.2023 को उक्त हरिओम फिलिंग स्टेशन गंगरार पर पहुचें। उक्त कार्यवाही में सुनील कुमार घोडेला जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि मौके पर मैसर्स मेवाड़ फ्यूल एनर्जी बेगूं का रिटेल आउटलेट मोबाईल वेन से अवैध व्यापार करता हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित किशन खटीक मोबाईल नम्बर 799039442 निवासी कानोड़ एवं हरीश खटीक मोबाई 9737587062 निवासी ताणा से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त फिलिंग स्टेशन नारायण खटीक निवासी चितौड़गढ़ मोबाईल 9511571837 का हैं तथा किशन खटीक एवं हरीश खटीक यहां पर कार्मिक के रूप में कार्य करते हैं। इनसे सॉल्वेन्ट/ बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री, भण्डारण एवं परिवहन के दस्तावेज मांगने पर इनके द्वारा बायोडीजल के मोबाईल रिटेल आउटलेट **RJ 52 GA 7322** का पंजीकरण क्रमांक RAJ/BFA/BD/2020 पंजीयन दिनांक 09.09.2021 मैसर्स मेवाड़ फ्यूल एनर्जी बेगूं के नाम से जारी होना पाया गया जिसकी वैधता अवधि 1 वर्ष हैं तथा इसकी अवधि दिनांक 09.09.2022 को समाप्त हो जाने से उक्त आउटलेट मोबाईल वेन को कब्जें में लिया गया।

उक्त परिसर का सघन निरीक्षण करने पर पाया गया कि बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ/सॉल्वेन्ट से भरा एक टैंक चारदीवारी में लगभग फिक्स था, तथा लोहे का ड्रम भरा हुआ पाया गया जहां 03 मोटर, 03 प्लास्टिक का पाईप एवं 03 गेज मापक उपलब्ध सामग्री को कब्जे में लिया गया एवं बायोडीजल के रिटेल मोबाईल आउटलेट मैसर्स मेवाड़ फ्यूल एनर्जी **RJ 52 GA 7322** से नमूने लेकर सेम्पल मार्का ए–1, ए–2, ए–3 दिया गया एवं मौके पर मय डिस्पेसिंग यूनिट नोजल को सील किया गया जिसका सील क्रमांक 4042189 (नोजल) 4047164(डिस्पेसिंग यूनिट) उक्त रिटेल मोबाईल में कुल मात्रा 1898.5 लीटर हैं। टैंकर (भूमिगत चारदीवारी से बन्द) एवं लोहे के ड्रम से समान मात्रा में सॉल्वेन्ट/बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ लेकर सेम्पल मार्का बी–1, बी–2, बी–3 दिया गया। चूंकि टैंक भूमिगत होने से मौके पर सील किया गया जिसका सील क्रमांक 4047145 (टैंक के नीचे) 4047124 एवं 4047108 (टैंक के उपर) हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यवाही परिसर में ही बायोडीजल के दो पम्प पाये गये जो पूर्व में ही सीलशुदा थे। जिनका मौके पर ही फर्द जब्ती मय सुपुर्दगी नामा तैयार कर मोबाईल बायोडीजल रिटेल आउटलेट **RJ 52 GA 7322** को पुलिस थाना गंगरार की सुपुर्दगी में दिया गया तथा सेम्पल मार्का ए–1, बी– 1 वास्ते जांच एफएसएल परिक्षण हेतु दिया गया। भूमिगत टैंक, ड्रम को परिवहन की असुविधा के कारण पुलिस थाना गंगरार में कार्यरत हेड कास्टेबल लेहरू बेल्ट नम्बर 984 की अभिरक्षण में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिया गया। दिनांक 28.4.2023 को मौके पर दौराने कार्यवाही जगदीश बेल्ट नंबर 301, मान्वेन्द्र बेल्ट नंबर 268 के समक्ष भूमिगत टैंक की सील क्रमांक 4047145 (टैंक नीचे), 4047124, 4047108 (टैंक के उपर को) तोड़ा गया एवं परिवहन एवं हस्तान्तरण की सुविधा हेतु लोहे एवं प्लास्टिक के साफ ड्रमों में भूमिगत टैंक की समस्त सॉल्वेन्ट/बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ को हस्तान्तरित किया गया। उक्त सॉल्वेन्ट/बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ को 27 प्लास्टिक ड्रम एवं 09 लोहे के ड्रमों में हस्तान्तरित कर गेज मापन किया गया। उक्त समस्त सामग्री को कब्जे राज लिया गया एवं फर्द तलपट्टी तैयार की गई जिसकी कुल मात्रा 7923 लीटर पायी गयी।

उक्त समस्त सामग्री की फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया जिसमें लोहे के 9 ड्रम, प्लास्टिक के 27 ड्रम एवं एक लोहे के ड्रम जिसमें 150 लीटर सॉल्वेन्ट/बायोडीजल /पेट्रोलियम पदार्थ सामग्री एवं 03 मोटर (दो लूबी कम्पनी की एवं एक पर कम्पनी का नाम अंकित नहीं), 03 प्लास्टिक के पाईप (जिसके 08 फूट का काले रंग का प्लास्टिक का पाईप, 15 फुट प्लास्टिक का भूरे रंग का पाईप, 10 फुट हरे रंग का प्लास्टिक का पाईप), पीतल के 5–5 लीटर के दो मापक झार, दो लीटर लोहे का एक मापक झार, 1/2 लीटर लोहे का एक मापक जार को पुलिस थाना गंगरार की सुपुर्दगी में दिया गया।

विपक्षीगण का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीड डीजल आदेश 2005, सॉल्वेंट, रेफिनेट एण्ड स्लॉक आदेश 2000 एवं नाफ्ता आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में अभिग्रहित पेट्रोलियम पदार्थ/बायोडीजल/सॉल्वेंट लोहे के 9 ड्रमों, प्लास्टिक के 27 ड्रमों में कुल मात्रा 7923 लीटर एवं 1 लोहे के ड्रम मात्रा 150 लीटर तथा मोबाईल बायोडीजल रिटेल आउटलेट **RJ 52 GA 7322** में कुल मात्रा 1898.5 लीटर की समस्त बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ/सॉल्वेंट सामग्री तथा 3 मोटर 2 लूबी कम्पनी की एवं 1 पर कम्पनी का नाम अंकित नहीं 3 प्लास्टिक के पाइप जिसमें 8 फुट का काले रंग का प्लास्टिक का पाइप, 15 फुट का प्लास्टिक का भूरे रंग का पाइप 10 फुट हरे रंग का प्लास्टिक का पाइप, पीतल के 5–5 लीटर के 02 मापक जार, 02 लीटर का लोहे का 01 मापक जार, 1/2 लीटर का लोहे का 01 मापक जार को राजसात कराने की कृपा करावें ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी नारायण लाल की फर्म हरिओम फिलिंग स्टेशन, डेट गंगरार पर सॉल्वेन्ट/बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध बिक्री नहीं की जा रही थी, परिवादी जिला रसद अधिकारी ने विपक्षी के पम्प पर झूठी कार्यवाही की है तथा विपक्षी नारायण लाल की फर्म के नाम से बायोडीजल का लाईसेन्स होकर लाईसेन्स के अनुसार ही बायोडीजल की बिक्री करता था तथा लाईसेन्स रिन्यूअल के प्रोसस तक बायोडीजल की विक्री बन्द थी विपक्षी नारायण लाल के पास बायोडीजल स्टोरेज का लाईसेन्स था जिससे लाईसेन्स के आधार पर ही बायोडीजल स्टोर कर रखा था। जिस दिनांक 28.04.2023 को परिवादी द्वारा कार्यवाही करना बताया है इससे पहले ही बिक्री बन्द थी तथा उस समय कोई अवैध बिक्री नहीं की जा रही थी।

मैसर्स मेवाड़ फ्यूल एनर्जी बेगुं की रिटेल आउटलेट मोबाईल वेन से काई अवैध व्यापार करना नहीं पाया गया तथा मौके पर न तो बायोडीजल बेचता पाया गया और न ही कोई व्यक्ति खरीद करता या किसी वाहन में डीजल भरता पाया गया है परिवादी जिला रसद अधिकारी ने इस्तगासे में झूठे तथ्य लिखे है।

मौके पर जिस व्यक्ति किशन लाल एवं हरीश खटीक को कार्मिक के रूप में बताया गया वे दोनो केवल मात्र पम्प एवं रिटेल आउटलेट बन्द होने एवं लाईसेन्स अवधि तक खरीद शुदा बायोडीजल को लाईसेन्स अवधि के बाद विक्रय नहीं करने से जो स्टोरेज (लाईसेन्स अनुसार भण्डारण) किया हुआ था। जहाँ कोई चोरी या अन्य कोई हादसा नहीं हो जाये इसलिये उसकी रखवाली के लिए नियुक्त थे तथा रसद अधिकारी ने मौके से दोनों को किसी प्रकार से बायोडीजल की बिक्री या व्यापार करते हुए नहीं पाया है परिवादी जिला रसद अधिकारी ने इस्तगासे में झूठे तथ्य लिखे है, जो कतई स्वीकार नहीं है तथा विपक्षी नारायण लाल, किशन लाल एवं हरीश पर कोई 3/7 एवं 6 ए ईसी एक्ट का मामला नहीं बनता है।

मैसर्स मेवाड़ फ्यूल एनर्जी बेगुं की जो कि विपक्षी नारायण लाल की ही अन्य फर्म की रिटेल आउटलेट मोबाईल वेन संख्या **RJ 52 GA 7322** का लाईसेन्स वापस रिन्यूअल प्रक्रिया में होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिन्यूअल के निर्देश जारी करने हेतु सिविल रिट पीटीशन पेश होने से केवल मात्र वाहन खड़ा किया हुआ था एससे किसी प्रकार की बिक्री या व्यापार नहीं किया जा रहा था। परिवादी ने गलत कार्यवाही कर गलत तरीके से से काई अवैध व्यापार करना नहीं पाया गया तथा केवल मात्र खड़े वाहन को जब्त कर झूठी कार्यवाही की गई इसके साथ ही बायोडीजल पेट्रोलियम पदार्थ या आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है जिससे विपक्षीगण पर 6 ए ईसी एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है।

मौके बायोडीजल का लाईसेन्स वापस रिन्यूअल प्रक्रिया में होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिन्यूअल के निर्देश जारी करने हेतु सिविल रिट पीटीशन पेश होने से केवल मात्र लाईसेन्स अवधि तक खरीद शुदा बायोडीजल को लाईसेन्स अवधि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के बाद विक्रय नहीं करने से जो स्टोरेज (लाईसेन्स अनुसार भण्डारण) किया हुआ था उसकी रखवाली के लिए एवं कोई चोरी या अन्य कोई हादसा नहीं हो जाये इस लिये दो कर्मचारी नियुक्त थे तथा रसद अधिकारी ने मौके से दोनों को किसी प्रकार से बायोडीजल की बिक्री या व्यापार करते हुए नहीं पाया है इससे किसी प्रकार की बिक्री या व्यापार नहीं किया जा रहा था। परिवादी ने गलत कार्यवाही कर गलत तरीके से से काई अवैध व्यापार करना नहीं पाया गया तथा केवल मात्र खडे वाहन एवं स्टोरेज यूलिट टेंक को जब्त कर झूठी कार्यवाही की गई इसके साथ ही बायोडीजल पेट्रोलियम पदार्थ या आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है जिससे विपक्षीगण पर 6 ए ईसी एक्ट का कोई मामला नही बनता है। क्योंकि विगत लम्बे समय से पम्प पर कोई बायोडिजल बिक्री नहीं किया जा रहा था जिससे मौके पर लगे दोनों पम्प बन्द होकर सिल किये हुए थे।

मैसर्स मेवाड़ फयूल एनर्जी बेगुं की जो कि विपक्षी नारायण लाल की ही अन्य फर्म की रिटेल आउटलेट मोबाईल वेन संख्या **RJ 52 GA 7322** का लाईसेन्स वापस रिन्यूअल प्रक्रिया में होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिन्यूअल के निर्देष जारी करने हेतु सिविल रिट पीटीशन पेश होने से केवल मात्र वाहन खड़ा किया हुआ था इससे किसी प्रकार की बिक्री या व्यापार नहीं किया जा रहा था। परिवादी ने गलत कार्यवाही कर गलत तरीके से से काई अवैध व्यापार करना नहीं पाया गया तथा केवल मात्र खडे वाहन को जब्त कर झूठी कार्यवाही की गई इसके साथ ही बायोडीजल पेट्रोलियम पदार्थ या आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है जिससे विपक्षीगण पर 6 ए ईसी एक्ट का कोई मामला नही बनता है तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत तरिके से कार्यवाही कर गलत रूप से उक्त वेन को पुलिस थाना गंगरार की सिपुर्दगी में दिया है।

बायोडीजल का लाईसेन्स वापस रिन्यूअल प्रक्रिया में होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिन्यूअल के निर्देश जारी करने हेतु सिविल रिट पीटीशन पेश होने से केवल मात्र लाईसेन्स अवधि तक खरीद शुदा बायोडीजल को लाईसेन्स अवधि के बाद विक्रय नहीं करने से जो स्टोरेज (लाईसेन्स अनुसार भण्डारण) किया हुआ था उसकी रखवाली के लिए एवं कोई चोरी या अन्य कोई हादसा नहीं हो जाये इस लिये दो कर्मचारी नियूक्त थे तथा रसद अधिकारी ने मौके से दोनों को किसी प्रकार से बायोडिजल की बिक्री या व्यापार करते हुए नहीं पाया है इससे किसी प्रकार की बिक्री या व्यापार नहीं किया जा रहा था। परिवादी ने गलत कार्यवाही कर गलत तरीके से से काई अवैध व्यापार करना नहीं पाया गया तथा केवल मात्र खडे वाहन एवं स्टोरेज यूनिट टेंक को जब्त कर झूठी कार्यवाही की गई इसके साथ ही बायोडीजल पेट्रोलियम पदार्थ या आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है जिससे विपक्षीगण पर 6 ए ईसी एक्ट का कोई मामला नही बनता है तथा विपक्षी के वैध स्टोरेज यूनिट में से गलत तरीके से जिला रसद अधिकारी द्वारा ड्रमों में भर कर ले जाकर अवैध कार्यवाही की है।

प्रार्थी के पूर्व में पम्प संचालन एवं अपने व्यवसाय हेतु किये गये निवेश के तहत कई अन्य सामान जिसका इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार विपक्षी के वैध स्टोरेज यूनिट में से गलत तरीके से जिला रसद अधिकारी द्वारा ड्रमों में भर कर ले जाकर अवैध कार्यवाही की है।

विपक्षीगण पर 3/7 इसी एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है तथा बायोडीजल पेट्रो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है तथा जिला रसदअधिकारी ने झूठी एवं गलत कार्यवाही की है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के प्रकरण संख्या एस.बी. क्रिमी. मिसलिनियस पीटीशन नंबर 2153/2022 मेसर्स जय श्री ऊॅ बन्ना रुद्राक्ष बायो फ्यूल बनाम राजस्थान स्टेट निर्णय दिनांक 20.04.2022 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बायोडीजल पेट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है तथा बायोडीजल के बिक्री एवं भण्डारण पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। तथा इस आदेश में पुलिस कार्यवाही को अवैध बतताते हुए जब्तशुदा बायोडीजल एवं आउटलेट को वापस प्रार्थी/याचिका पेशकर्ता को सिपूर्द किये जाने का आदेश फरमाया गया है।

विपक्षी नारायण लाल की फर्म का बायोडीजल का लाईसेन्स वापस रिन्यूअल प्रक्रिया में होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिन्यूअल के निर्देश जारी करने हेतु सिविल मिसलिनियस पीटीशन पेश होने से केवल मात्र लाईसेन्स अवधि तक खरीद शुदा बायोडीजल को लाईसेन्स अवधि के बाद विक्रय नहीं करने से जो स्टोरेज (लाईसेन्स अनुसार भण्डारण) किया हुआ था तथा जिला रसद अधिकारी ने झूठी एवं गलत कार्यवाही की है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के प्रकरण सं. एस.बी. क्रिमि. मिसलिनियस पीटीशन नंबर 2153/2022 मेसर्स जय श्री ऊॅ बन्ना रुद्राक्ष बायो फ्यूल बनाम राजस्थान स्टेट निर्णय दिनांक 20.04.2022 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बायोडीजल पेट्रोलियन पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है तथा बायोडीजल के बिक्री एवं भण्डारण पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। तथा इस आदेश में पुलिस कार्यवाही को अवैध बतताते हुए जब्तशुदा डीजल एवं आउटलेट को वापस प्रार्थी/याचिका पेशकर्ता को सिपूर्द किये जाने का आदेश फरमाया गया है तथा विपक्षी नारायणा लाल की और से बायोडीजल खरीद के लिए पेश है तथा विपक्षी नारायण लाल रसद अधिकारी द्वारा जब्तशुदा बायोडीजल को प्राप्त करने का अधिकारी होने से जब्तशुदा बायोडिजल विपक्षी नारायण लाल को लोटाया जाना न्यायोचित होकर आवश्यक है, खरीद शुदा बायोडीजल के बिल एवं अन्य दस्तावेज जवाब के साथ पेश है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर परिवादी जिला रसद अधिकारी द्वारा पेश परिवाद विरुद्ध विपक्षी सव्यय के निरस्त फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एवं विपक्षी की और से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कराया एवं प्रार्थना की गई कि जब्तशुदा वाहन रिटेल आउटलेट मोबाईल वेन संख्या **RJ 52 GA 7322** मय बायोडीजल एवं जब्तशुदा स्टोरेज यूनिट से जब्तशुदा समस्त बायोडीजल विपक्षी नारायण लाल को सिपूर्द किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी एवं प्रार्थी (प्रार्थना–पत्र 115/2023(रे.वि.) ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पत्रावली पर चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन/परीक्षण किया। प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच एफएसएल पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, किन्तु उभयपक्षकारान द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन में बायोडीजल होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रकरण में विपक्षी की और से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर जाहिर आया है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी. रिट पीटीशन संख्या 9210/2024 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 से आदेश पारित किया गया है कि :–

1. Learned counsel for the petitioner-firm makes a limited submission that the application of the petitioner-firm for renewal of the registration certificate be considered and till then, no coercive action be taken against the petitioner-firm for bio-diesel vehicles.
2. On such limited submission, the present writ petition is disposed of with a direction to the respondents to decide the application of petitioner-firm which has been preferred on 01.09.2022 & 08.09.2022 within a period of three months from Official today, strictly in accordance with law. It is made clear that till 29.08.2024, no coercive action shall be taken against the petitioner-firm regarding the renewal of such certificate. All pending applications also stand disposed of.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता–फर्म के आवेदन पर, जो 01.09.2022 और 08.09.2022 को तीन महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार, पूरी तरह से निर्णय लेने का निर्देश दिये गये है, एवं याचिकाकर्ता फर्म के विरुद्ध दिनांक 29.08.2024 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने बाबत् आदेशित किया गया है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह साबित हो सके की विपक्षी संख्या 1 का रिन्यूवल सक्षम स्तर से किया जा चुका है, एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिनांक 29.08.2024 व्यतीत हो चुकी है।

वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 को बायोडीजल/ पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होने से मौके से जब्त किये गये, एवं ना ही विपक्षी की और से न्यायालय के समक्ष कोई जवाब प्रस्तुत कर आवेदन का खण्डन किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से प्रकरण में अभिग्रहित पेट्रोलियम पदार्थ/बायोडीजल/सॉल्वेंट लोहे के 9 ड्रमों, प्लास्टिक के 27 ड्रमों में कुल मात्रा 7923 लीटर एवं 1 लोहे के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ड्रम मात्रा 150 लीटर तथा मोबाईल बायोडीजल रिटेल आउटलेट **RJ 52 GA 7322** में कुल मात्रा 1898.5 लीटर की समस्त बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ/सॉल्वेंट सामग्री तथा 3 मोटर 2 लूबी कम्पनी की एवं 1 पर कम्पनी का नाम अंकित नहीं 3 प्लास्टिक के पाइप जिसमें 8 फुट का काले रंग का प्लास्टिक का पाइप, 15 फुट का प्लास्टिक का भूरे रंग का पाइप 10 फुट हरे रंग का प्लास्टिक का पाइप, पीतल के 5–5 लीटर के 02 मापक जार, 02 लीटर का लोहे का 01 मापक जार, 1/2 लीटर का लोहे का 01 मापक जार को राजसात किये जाने योग्य है।

प्रकरण में प्रार्थी पैरोकार सरकार इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि उक्त जब्तशुदा वाहन में बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ है जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है, इसके साथ प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 115/2023 (रे.वि.)) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन **RJ 52 GA 7322** जिसके इंजन नंबर **AB41C25223** चेचीस नंबर **41C18296** का वाहन स्वामी है, एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा पत्रांक/553 दिनांक 24.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्तशुदा वाहन **RJ 52 GA 7322** जिसके इंजन नंबर **AB41C25223** चेचीस नंबर **41C18296** प्रार्थी नारायण लाल खटीक पिता नन्दराम खटीक निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जो कि वाहन स्वामी है, एवं प्रकरण में जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है।

इसके साथ ही प्रकरण में विपक्षी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख–रखाव भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस होना साबित कराये जाने में असफल रहे है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा अवैध तरीके बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ/बायोडीजल/सॉल्वेंट लोहे के 9 ड्रमों, प्लास्टिक के 27 ड्रमों में कुल मात्रा 7923 लीटर एवं 1 लोहे के ड्रम मात्रा 150 लीटर तथा मोबाईल बायोडीजल रिटेल आउटलेट **RJ 52 GA 7322** में कुल मात्रा 1898.5 लीटर की समस्त बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ/सॉल्वेंट सामग्री तथा 3 मोटर 2 लूबी कम्पनी की एवं 1 पर कम्पनी का नाम अंकित नहीं 3 प्लास्टिक के पाइप जिसमें 8 फुट का काले रंग का प्लास्टिक का पाइप, 15 फुट का प्लास्टिक का भूरे रंग का पाइप 10 फुट हरे रंग का प्लास्टिक का पाइप, पीतल के 5–5 लीटर के 02 मापक जार, 02 लीटर का लोहे का 01 मापक जार, 1/2 लीटर का लोहे का 01 मापक जार एवं अन्य सामग्री आदि राजसात किये जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 118/2023 दिनांक 28.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारण करते हुए पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 118/2023 दिनांक 28.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर **RJ 52 GA 7322** जिसके इंजन नंबर **AB41C25223** चेचीस नंबर **41C18296** प्रार्थी नारायण लाल खटीक पिता नन्दराम खटीक निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ को रूपये **10,00,000/-** अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ/बायोडीजल/सॉल्वेंट लोहे के 9 ड्रमों, प्लास्टिक के 27 ड्रमों में कुल मात्रा 7923 लीटर एवं 1 लोहे के ड्रम मात्रा 150 लीटर तथा मोबाईल बायोडीजल रिटेल आउटलेट **RJ 52 GA 7322** में कुल मात्रा 1898.5 लीटर की समस्त बायोडीजल/पेट्रोलियम पदार्थ/सॉल्वेंट सामग्री तथा 3 मोटर 2 लूबी कम्पनी की एवं 1 पर कम्पनी का नाम अंकित नहीं 3 प्लास्टिक के पाइप जिसमें 8 फुट का काले रंग का प्लास्टिक का पाइप, 15 फुट का प्लास्टिक का भूरे रंग का पाइप 10 फुट हरे रंग का प्लास्टिक का पाइप, पीतल के 5–5 लीटर के 02 मापक जार, 02 लीटर का लोहे का 01 मापक जार, 1/2 लीटर का लोहे का 01 मापक जार को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री आदि प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार को सूचनार्थ, पालनार्थ भिजवाई जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्रावली संख्या 115/2023 (रे.वि.) उनवानी नारायणलाल बनाम सरकार वगैराह में रखी जावें। विपक्षी संख्या 1 द्वारा वांछित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 115/2023 (रे.वि.) उनवानी नारायणलाल बनाम सरकार वाहन सिपुर्दगी बाबत् आदेश जारी किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.11.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official